

कार्यालय जिला कलक्टर (भू-अभिलेख) कोटा

क्रमांक : प 2 (1)(2) स्था0 / भू-अभि0 / 18 / 2488

दिनांक 02 / 08 / 2018

आदेश

राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक : राम / भू0अ0 / परीक्षा / प-279 / 2017 / 8367-399 दिनांक 30.07.2018 द्वारा सीधी भर्ती पटवारी परीक्षा 2015 में अंतिम रूप से चयन कर कोटा जिले में पटवार प्रशिक्षण/पदस्थापन हेतु 20 सफल अभ्यर्थियों की सूची भिजवाई है। उक्त सूची में अंकित निम्न अभ्यर्थियों को राजस्थान भू0राजस्व(भू0अभिलेख) नियमावली 1957 के नियम 4 तथा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं नियमों के अधीन 2 वर्ष की अवधि के लिये प्रोवीजनल रूप से प्रोवेशनर ट्रेनी के रूप में पटवारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। उक्त अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से देय होगा। जो समय समय पर जारी आदेशों के अध्याधीन परिवर्तनीय होगा।

इनकी नियुक्ति पटवार प्रशिक्षण शाला में उपस्थित होने की दिनांक से मान्य होगी। पटवार प्रशिक्षण शाला में प्रशिक्षण की अवधि दिनांक 06.08.2018 से छह माह होगी।

प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर एवं 2 वर्ष की प्रोवीजनल रूप से प्रोवेशन अवधि संतोषजनक पूर्ण होने पर आपके संबंध में नियमानुसार पटवारी पद की सेवायें नियमानुसार नियमित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। जिसके अन्तर्गत पटवारी पद का तत्समय प्रचलित दर से नियमानुसार वेतन देय होगा।

क्रम सं०	रोल नम्बर	मेरिट नम्बर	कैटेगरी	नाम अभ्यर्थी	जन्म तारीख
1	149202	857	GENM	आदित्य वशिष्ठ पुत्र ओम प्रकाश वशिष्ठ	11.02.1996
2	181810	1583	GENM	पुनित कुमार बुगालिया पुत्र दयानन्द बुगालिया	20.04.1989
3	204184	1857	OBCM	मुकेश पुत्र सांवता राम	17.12.1995
4	172580	1875	OBCM	अमित कुमार मेहता पुत्र ईश्वर लाल मेहता	21.06.1994
5	127808	1887	OBCM	प्रहलाद सैनी पुत्र मदन लाल सैनी	18.03.1992
6	188153	1890	OBCM	शहजाद हुसैन पुत्र शफीक अहमद	10.07.1990
7	103960	1908	OBCM	आकाश कुमार चौधरी पुत्र छोटू राम सामोता	19.02.1995
8	133897	1909	OBCM	झाबरमल झाझडा पुत्र सागर मल झाझडा	29.08.1989
9	120154	6819	SCM	कालूराम बिलुनिया पुत्र जयनारायण बुलुनिया	15.05.1991
10	182254	7832	SCM	पवन सिंह पुत्र बाबू लाल सिंह	09.09.1992
11	213119	8571	SCM	चेतन मेघवाल पुत्र मोहन लाल मेघवाल	26.12.1992
12	176852	8841	SCM	कन्हैयालाल रंगर पुत्र कैलाश चन्द रंगर	01.05.1994
13	194566	9025	SCM	सुशील कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद	11.08.1994
14	144004	9084	SCM	अनिल कुमार पुत्र भीमसिंह	21.03.1994
15	200565	9269	SCM	आशीष वर्मा पुत्र बाबूलाल वर्मा	02.07.1995
16	105980	11526	OBCF	रितु महला पुत्री गिरधारीलाल	05.10.1990
17	208095	35210	OBCM (SP)	पेमाराम सारण पुत्र तुलछाराम सारण	13.06.1983
18	156667	91563	OBCM (EX)	रामसिंह गुर्जर पुत्र रामसहाय गुर्जर	01.12.1975
19	210429	92725	OBCM (EX)	जोगेन्द्र सिंह पुत्र बुद्धराम	01.09.1976
20	121993	92894	OBCM (EX)	राम निवास पूनिया पुत्र मुन्शीराम	01.07.1979

नियुक्ति निम्न बिन्दुओं के अधीन रहेगी।

1-ये आदेश/नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9454/2017 देवेन्द्र सिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य तथा इस याचिका के साथ संलग्न अन्य याचिकाओं एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 8454/2017 श्रवण स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8829/2017 ओमप्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 15538/2017 मोहिनी बनाम राजस्थान राज्य, व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 11711/2017 मनीश विशनोई बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 8263/2017 रोहिताश बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 7870/2017 भोमाराम बनाम राजस्थान राज्य, व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 13151/2017 पूनम कंवर बनाम राजस्थान राज्य, व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 8110/2017 शंकरलाल डूडी बनाम राजस्थान राज्य, व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 18032/2017 एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 16106/2017 एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 17676/2017 एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 18049/2017 एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 13009/2017 एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 13089/2017 एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 13008/2017 एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 13090/2017 एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 13011/2017 एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 13007/2017 एस.बी.सिविल रिट याचिका के संख्या 18326/2017, 10360/2017, 9735/2017, 10549/2017, 12009/2017, 11875/2017, 11874/2017, 11788/2017, 11878/2017, 11881/2017, 11877/2017, 11876/2017, 1879/2017, 8402/2017, 8413/2017, 8133/2017, 12552/2017, 12551/2017, 10690/2017, 11538/2017, 15109/2017 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

कार्यालय जिला कलक्टर (भू-अभिलेख) कोटा

- 2- यह नियुक्ति राजस्थान लैंड रेवेन्यू (लैंड रिकार्ड्स) रूल्स, 1957 के नियम-4 एवं तत्पश्चात समय समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशों/ परिपत्रों के अन्तर्गत घासित होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश परिपत्र लागू होंगे।
- 3- अस्थाई सेवाकाल में किसी भी समय बिना नोटिस दिये राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
- 4- राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ0 13 (1) वित्त/नियम /2003/दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
- 5- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एफ - (1) डी0पी0सी0(क-2)/95/दिनांक 20.06.2001 एवं दिनांक 08.04.2003 द्वारा निश्चित अवधि दिनांक 01.06.2002 को या उसके बाद निर्धारित बच्चों की संख्या के सम्बन्ध शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6- अभ्यर्थी को इस नियुक्ति पर चयनित वेतनमान हेतु जारी वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ 16 (2) एफ डी (रूल्स) 1998 दिनांक 17.02.1998 लागू नहीं होंगे।
- 7- परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों संशोधित प्रावधानों के अनुसार ही देय होंगे।
- 8- यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो उसमें असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षति पूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
- 9- यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन/भत्ते देय होंगे। परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 10- यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो राज्य सरकार इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी। इस हेतु वे किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।
- 11- कार्मिक द्वारा विवाह पर दहेज न तो दिया जावेगा और न ही स्वीकार किया जावेगा। दहेज लिये जाने की स्थिति में राज्य सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 12- प्रशिक्षण हेतु आपकी पात्रता पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में सदचरित्र होने के दायित्वाधीन होगी। साथ ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो उसे प्रस्तुत करना होगा। अतः यह रिपोर्ट प्राप्त होने तक आपको प्रोवीजनल एडमिशन दिया जाता है।
- 13- आपका पटवार प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर है। यदि आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज फर्जी कूटरचित या असत्य पाया जाता है तो आपको दी गई नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी एवं उक्त निरस्ती के परिणामस्वरूप आप किसी भी प्रकार के प्रतिकर के हकदार नहीं होंगे।
- 14- अभ्यर्थियों की नियुक्ति मूल आवेदन पत्र मय दस्तावेजों जांच / सत्यापन मय चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्याधीन रहेगी। यदि चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि या असत्यता पाई जाने पर या उक्त दोनों प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर नियुक्ति किसी भी समय निरस्त कर दी जायेगी।

आप दस्तावेजों का सत्यापन कर दिनांक 03-08-2018 कार्यालय जिला कलक्टर भू-अभिलेख कोटा में करवा कर दिनांक 06.08.2018 को P.T.S कोटा (पटवार प्रशिक्षण शाला कोटा) में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


जिला कलक्टर
कोटा

दिनांक 02/08/2018

क्रमांक एफ 2() स्था0/2018/2489-2513

प्रतिलिपी :- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर।
2. निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
3. संगामीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग कोटा।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन0आई0सी0 कोटा।
5. प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र कोटा।
6. संबंधित श्री
7. रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा